"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी 2018 — फाल्गुन 2, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2018 (फाल्गुन 2, 1939)

क्रमांक-2928/वि. स./विधान/2018 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 2 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2018

वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.-2) अधिनियम, 2018 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए राज्य की संचित निधि में से 8,74,63,33,56,000 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग सत्यासी हजार चार सौ तिरेसठ करोड़ तैंतीस लाख छप्पन हजार रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

वर्ष 2018-2019 के लिये अनुदानों की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची
(राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये रूप में)

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	39,67,44,70,000	39,67,44,70,000
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	20,63,36,79,000	20,63,36,79,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	2,09,17,80,000	32,78,10,000	2,41,95,90,000
		पूंजी	1,15,80,30,000	0	1,15,80,30,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	28,36,80,000	0	28,36,80,000
03	पुलिस	राजस्व	42,32,95,47,000	66,00,000	42,33,61,47,000
		पूंजी	76,75,20,000	0	76,75,20,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	39,77,75,000	0	39,77,75,000
		पूंजी	5,24,20,000	0	5,24,20,000
05	जेल	राजस्व	1,74,32,23,000	10,000	1,74,32,33,000
06	वित्त विभाग से संबंधितं व्यय	राजस्व	54,94,43,46,000	50,41,000	54,94,93,87,000
		पूंजी	10,00,000	0	10,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,56,14,68,000	60,06,35,000	3,16,21,03,000
		पूंजी	84,00,000	0	84,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	10,44,80,10,000	15,26,000	10,44,95,36,000
		पूंजी	3,40,43,50,000	0	3,40,43,50,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,35,50,000	10,000	20,35,60,000
		पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
10	वन	राजस्व	10,69,13,56,000	28,20,67,000	10,97,34,23,000
		पूंजी	17,31,51,000	0	17,31,51,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,77,88,91,000	25,000	2,77,89,16,000
		पूंजी	69,16,33,000	5,00,000	69,21,33,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,47,79,16,000	2,29,00,00,000	22,76,79,16,000
		पूंजी	4,20,06,60,000	0	4,20,06,60,000
13	कृषि	राजस्व	23,58,75,02,000	13,00,000	23,58,88,02,000
		पूंजी	8,08,00,000	0	8,08,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,16,68,47,000	20,000	4,16,68,67,000
		पूंजी	31,94,42,000	0	31,94,42,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	6,07,03,80,000	0	6,07,03,80,000
		पूंजी	79,00,00,000	0	79,00,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	62,36,98,000	20,000	62,37,18,000
		पूंजी	6,45,00,000	0	6,45,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	1,57,48,79,000	15,000	1,57,48,94,000
		पूंजी	25,50,02,000	0	25,50,02,000
18	श्रम	राजस्व	1,73,58,37,000	20,000	1,73,58,57,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	19,78,46,98,000	15,50,000	19,78,62,48,000
		पूंजी	68,17,54,000	0	68,17,54,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	3,94,32,58,000	10,00,000	3,94,42,58,000
		पूंजी	2,84,34,06,000	0	2,84,34,06,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,56,44,20,000	0	1,56,44,20,000
		पूंजी	6,95,03,63,000	0	6,95,03,63,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय	राजस्व	29,45,70,000	5,000	29,45,75,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	5,88,87,86,000	1,10,000	5,88,88,96,000
		पूंजी	4,88,15,49,000	26,00,000	4,88,41,49,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	15,97,76,67,000	0	15,97,76,67,000
		पूंजी	15,34,25,00,000	18,31,30,000	15,52,56,30,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,93,09,84,000	5,00,000	2,93,14,84,000
		पूंजी	4,15,68,95,000	0	4,15,68,95,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	40,82,81,000	0	40,82,81,000
		पूंजी	1,50,00,000	0	1,50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	30,21,70,36,000	3,00,000	30,21,73,36,000
		पूंजी	1,58,33,40,000	0	1,58,33,40,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	61,60,20,000	82,00,000	62,42,20,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	4,72,07,25,000	68,19,20,000	5,40,26,45,000
		पूंजी	14,08,00,000	74,00,000	14,82,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	32,27,26,49,000	2,00,000	32,27,28,49,000
		पूंजी	6,75,88,80,000	0	6,75,88,80,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	38,29,80,000	40,000	38,30,20,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,25,42,50,000	10,000	2,25,42,60,000
		पूंजी	5,00,000	0	5,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	20,74,02,00,000	10,00,000	20,74,12,00,000
		पूंजी	58,00,000	0	58,00,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	1,04,02,51,000	40,000	1,04,02,91,000
		पूंजी	10,00,000	0	10,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
35	पुनर्वास	राजस्व	2,29,60,000	0	2,29,60,000
36	परिवहन	राजस्व	76,43,86,000	20,10,000	76,63,96,000
		पूंजी	32,21,00,000	0	32,21,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	27,30,00,000	0	27,30,00,000
		पूंजी	31,70,00,000	0	31,70,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	22,72,15,45,000	50,000	22,72,15,95,000
		पूंजी	7,34,51,000	0	7,34,51,000
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,70,66,000	0	4,70,66,000
		पूंजी	2,61,00,00,000	0	2,61,00,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	1,23,04,57,25,000	10,000	1,23,04,57,35,000
		पूंजी	30,17,13,91,000	15,00,000	30,17,28,91,000
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	10,82,19,00,000	8,42,00,000	10,90,61,00,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	67,84,47,000	30,000	67,84,77,000
		पूंजी	1,75,00,000	0	1,75,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	6,64,16,60,000	70,000	6,64,17,30,000
		पूंजी	12,34,00,000	0	12,34,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	98,72,43,000	0	98,72,43,000
		पूंजी	3,95,79,76,000	0	3,95,79,76,000
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	16,95,00,000	0	16,95,00,000
		पूंजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	3,59,94,61,000	10,000	3,59,94,71,000
		पूंजी	31,02,26,000	0	31,02,26,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	6,87,10,000	0	6,87,10,000
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,62,10,000	0	1,62,10,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	11,24,50,000	0	11,24,50,000
		पूंजी	3,20,00,000	0	3,20,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	20,45,00,000	0	20,45,00,000
		पूंजी	33,70,50,000	0	33,70,50,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	1,31,00,00,000	0	1,31,00,00,000
		पूंजी	31,66,00,000	0	31,66,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	9,90,51,31,000	10,000	9,90,51,41,000
		पूंजी	29,07,00,000	0	29,07,00,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,05,79,02,000	10,000	1,05,79,12,000
		पूंजी	1,30,00,000	0	1,30,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	6,08,64,00,000	0	6,08,64,00,000
		पूंजी	20,00,000	0	20,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	75,00,000	0	75,00,000
		पूंजी	52,00,00,000	0	52,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	41,67,02,51,000	10,000	41,67,02,61,000
		पूंजी	14,55,94,84,000	0	14,55,94,84,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	39,05,92,000	10,000	39,06,02,000
		पूंजी	20,05,00,000	0	20,05,00,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	2,47,40,50,000	0	2,47,40,50,000
		पूंजी	24,43,00,000	0	24,43,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	6,61,38,60,000	46,00,000	6,61,84,60,000
		पूंजी	6,68,59,19,000	0	6,68,59,19,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	1,83,03,30,000	0	1,83,03,30,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	राजस्व	8,50,43,35,000	0	8,50,43,35,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,36,07,84,000	0	1,36,07,84,000
		पूंजी	2,80,00,00,000	0	2,80,00,00,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	7,00,00,00,000	0	7,00,00,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	7,75,60,00,000	0	7,75,60,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	6,15,46,44,000	4,20,000	6,15,50,64,000
		पूंजी	1,89,20,45,000	0	1,89,20,45,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	38,19,68,73,000	0	38,19,68,73,000
		पूंजी	1,80,50,00,000	0	1,80,50,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	17,95,80,30,000	71,34,50,000	18,67,14,80,000
		पूंजी	6,04,00,00,000	0	6,04,00,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	19,13,65,11,000	0	19,13,65,11,000
		पूंजी	1,97,50,00,000	0	1,97,50,00,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	44,94,60,000	0	44,94,60,000
		पूंजी	33,00,00,000	0	33,00,00,000
	योग -	**राजस्व**	**6,50,37,66,46,000**	**44,60,51,34,000**	**6,94,98,17,80,000**
		पूंजी	**1,58,73,85,67,000**	**20,91,30,09,000**	**1,79,65,15,76,000**
	वृहद योग		**8,09,11,52,13,000**	**65,51,81,43,000**	**8,74,63,33,56,000**

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 9 फरवरी, 2018

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.